

कोपी डेवी कनाथ दीपचन्द

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

शुभपत्र अस्थायी विधि

मुन. - 1/2023

23.10.2023

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वाद पत्र न्यायालय द्वारा आज निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री पारित हो जाने से इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

*Rathore*  
23/10/23  
(दिलीप सिंह)  
दिलीप सिंह  
सुपरवण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधापुर (नामकीथाना)  
श्रीमाधापुर (नामकीथाना)

